उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी– 27 / तक0प्र0 / डेय0उद्य0वि0यो0 / 18–19 दिनॉकः 15/06/2018

समस्त शाखा प्रबन्धक, **''अति आवश्यक''**
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय–डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)–में प्रस्ताव प्रेषित करने सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–26 / तक0प्र0 / डेय0उद्य0वि0यो0 / 18–19 दिनॉक 13.06.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में नाबार्ड द्वारा संलग्न पत्र दि0 14.06.18 द्वारा निम्न बिन्दुओ द्वारा अवगत कराया गया है कि :–

1. भारत सरकार से प्राप्त डेयरी उद्यमिता विकास योजनार्न्तगत से सम्बन्धित परिपत्र आपके संज्ञान हेतु बैंक की बेवसाइड पर अपलोड कर दिया गया है जो नाबार्ड की बेवसाइड www.nabard.org पर भी देखा जा सकता है।
2. संदर्भित योजनार्न्तगत प्रस्ताव प्रेषण हेतु यह बेवसाइड दि0 18.06.18 से खोली जायेगी जिसपर बैंक के तकनीकी अनुभाग द्वारा बैंक की शाखा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावो को अपलोड किया जायेगा अतः प्रत्येक दशा में 01.04.18 से दि0 18.06.18 तक प्राप्त प्रस्ताव का बैंक की बेवसाइड पर 25.06.18 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। यहॉ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि निर्धारित प्रारूप पर तथा निर्धारित अवधि तक प्राप्त नही होता है तो योजनार्न्तगत प्रस्तावो को नाबार्ड द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा ।
3. संदर्भित योजनार्न्तगत वर्ष 2017–18 के बजट के समाप्त हो जाने के कारण पुराने प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा अतः दि0 01.04.18 से 18.06.18 तक की अवधि में स्वीकृत प्रस्तावो पर ही विचार किया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुदान / प्रस्तावो से सम्बन्धित उपर्युक्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए तक0 अनु0 को नियमानुसार उक्त तिथियो तक प्रेषित करना सुनिश्चित करे। जिससे कि नाबार्ड को समय से प्रेषित किया जा सके।

ह0 / –

संलग्नक :– यथोपरि।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1) समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।

(2) समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

ह0 / –

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)